



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072026-274008
CG-DL-E-02072026-274008

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3259]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948

No. 3259]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3393(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3488 तारीख 29/07/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में NH552G के कि.मी. 0+000 से कि.मी.0+500 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 12.08.2025 को दैनिक भास्कर एवं फ्री प्रेस दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में NH-552G के कि.मी. 0+000 से कि.मी.0+500 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: उज्जैन		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: उज्जैन नगर					
गांव का नाम: खिलचीपुर					
1	203	सरकारी	असिंचित	0.0528	शासकीय 203
2	204/2	निजी	कृषि/सिंचित	0.0663	हटे सिंह पिता भेरूसिंह 204/2
3	204/3	निजी	कृषि/ सिंचित	0.0013	अमर सिंह पिता दौलत सिंह 204/3
4	205/1	निजी	कृषि	0.12	रामचंद्र पिता नागूजी 205/1
5	205/2	निजी	कृषि	0.094	राजीव पिता शान्तिलाल 205/2
6	205/3/1	निजी	कृषि	0.05	संजय पिता कांतिलाल 205/3/1
7	205/3/2	निजी	कृषि	0.0473	कोमलचन्द्र पिता रामलाल 205/3/2
8	210	सरकारी	कृषि	0.0212	शासकीय 210

9	211	निजी	कृषि	0.1236	कमलाबाई पत्नी मोहनलाल 211/2/3
10	217	निजी	कृषि/सिंचित	0.3657	रामचंद्र व हुकुम पिता गोपाल, दीपक पिता दयाराम 217/1, 217/3
11	218	सरकारी	असिंचित	0.0147	सरकारी
12	219	निजी	कृषि	0.188	रामचंद्र व हुकुम पिता गोपाल, दीपक पिता दयाराम 219/2/1, 219/2/3
13	223/1	सरकारी	खांती	0.08	शासकीय 223/1
14	223/2	सरकारी	खांती	0.0114	सरकारी 223/2
15	268	सरकारी	असिंचित	0.187	सरकारी 268
16	271	सरकारी	असिंचित	0.3273	शासकीय 271
17	273/1	सरकारी	सड़क	0.0994	शासकीय 273/1
18	278	सरकारी	असिंचित	0.0184	शासकीय 278
19	283	सामान्य	कृषि / व्यावसायिक	0.043	दलसुखभाई पिता नारायण भाई पटेल 283/2/3/2
20	283	सामान्य	कृषि / व्यावसायिक	0.025	जयंती भाई पिता हरजी भाई 283/2/2
21	283	सामान्य	कृषि / व्यावसायिक	0.016	जितेन्द्र, राकेश पिता जगदीश 283/2/1/4

22	283	सामान्य	कृषि / व्यावसायिक	0.015	जितेन्द्र राकेश पिता जगदीश 283/2/1/5
23	283	सामान्य	कृषि / व्यावसायिक	0.028	मोहम्मद खान पिता मिट्टू खान 283/2/3/3
24	283	सामान्य	कृषि / व्यावसायिक	0.032	सिराज बी पति मोहम्मद खान 283/2/3/4
25	283	सामान्य	कृषि / व्यावसायिक	0.02	बंशीलाल पिता दौलत सिंह 283/2/12
26	283	सामान्य	कृषि / व्यावसायिक	0.025	विनिता पति अमित गादीया 283/2/35
27	283	सामान्य	कृषि / व्यावसायिक	0.03	गंगाराम बापू पिता शंकरलाल रमेशचंद्र मोहन बदरी राजाराम सेवारा 283/2/1/8
28	283	सामान्य	कृषि / व्यावसायिक	0.035	बाबूलाल पिता दोलतसिंह 283/2/1/10
29	283	सामान्य	कृषि / व्यावसायिक	0.06	नारायण सिंह पिता दोलतसिंह 283/2/1/9
30	283	सामान्य	कृषि / व्यावसायिक	0.02	फ़ातिमाबी खान पति इस्माइल खान, नूर मोहम्मद खान पिता इस्माइल खान 283/2/1/1
31	284	निजी	कृषि / सिंचित	0.005	चदरबाई पिता बापूहटे सिंह 284/2/1

32	284	निजी	कृषि / सिंचित	0.01	मानसिंह 284/5/1/1
33	284	निजी	कृषि / सिंचित	0.01	दुलीचन्द्र पिता बजेराम 284/5/2
34	284	निजी	कृषि / सिंचित	0.0055	सुरेशचंद्र पिता माधवलाल सोनी 284/5/1/2
35	284	निजी	कृषि / सिंचित	0.0055	अमर सिंह पिता दौलत सिंह 284/1/2
36	285	निजी	कृषि	0.0169	मानकुंवर पति शंकर सीमा पति रमेश, राजूबाई पति बहादुर 185
Total				2.2703	

[फा. सं. NH-552G/Ujjain_Jhalawar/(3a)/3D1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2026

S.O. 3393(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3488 Dated:29/07/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-552G in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 0+500 in the district of UJJAIN in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in Dainik Bhaskar & Free Press on 12.08.2025 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-552G in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 0+500 in the district of UJJAIN in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: UJJAIN		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ujjain Nagar					
Village: Khilchipur					
1	203	Government	Non Irrigated	0.0528	Government 203
2	204/2	Private	Agriculture/ Irrigated	0.0663	Hate Singh, S/o Bherusingh 204/2
3	204/3	Private	agriculture / irrigated	0.0013	Amar Singh S/o Dolat Singh 204/3
4	205/1	Private	Agricultural	0.12	Ramchandra S/o Naguji 205/1
5	205/2	Private	Agriculture	0.094	Rajiv S/o Shantilal 205/2
6	205/3/1	Private	agricultural	0.05	Sanjay S/o Kantilal 205/3/1
7	205/3/2	Private	Agriculture	0.0473	Komalchandra S/o Ramlal 205/3/2
8	210	Government	Agriculture	0.0212	Government 210
9	211	Private	Agriculture	0.1236	Kamlabai W/o Mohanlal 211/2/3
10	217	Private	Agriculture/ Irrigated	0.3657	Ramchandra & Hukum S/o Gopal, Deepak S/o Dayaram 217/1, 217/3
11	218	Government	Non Irrigated	0.0147	Government
12	219	Private	Agriculture	0.188	Ramchandra & Hukum S/o Gopal, Deepka S/o Dayaram 219/2/1, 219/2/3

13	223/1	Government	Khaantti	0.08	Government 223/1
14	223/2	Government	Khaantti	0.0114	Government 223/2
15	268	Government	Non Irrigated	0.187	Government 268
16	271	Government	Non Irrigated	0.3273	Government 271
17	273/1	Government	Road	0.0994	Government 273/1
18	278	Government	Non Irrigated	0.0184	Government 278
19	283	Common	agriculture / Commercial	0.043	Dalsukhbhai S/o Narayan Bhai Patel 283/2/3/2
20	283	Common	agriculture / Commercial	0.025	Jayanti bhai S/o Harji Bhai 283/2/2
21	283	Common	agriculture / Commercial	0.016	Jitendra, Rakesh S/o Jagdish 283/2/1/4
22	283	Common	agriculture / Commercial	0.015	Jitendra Rakesh S/o Jagdish 283/2/1/5
23	283	Common	agriculture / Commercial	0.028	Mohammad Khan S/o Mittu Khan 283/2/3/3
24	283	Common	agriculture / Commercial	0.032	Siraj be W/o Mohammad Khan 283/2/3/4
25	283	Common	agriculture / Commercial	0.02	Banshilal S/o Doulat singh 283/2/12
26	283	Common	agriculture / Commercial	0.025	Vinita W/o Amit Gadiya 283/2/35
27	283	Common	agriculture / Commercial	0.03	Gangaram Bapu S/o Shankarlal Rameshchandra Mohan Badri Rajaram Sevara 283/2/1/8
28	283	Common	agriculture / Commercial	0.035	Babulal S/o Dolatsingh 283/2/1/10
29	283	Common	agriculture / Commercial	0.06	Narayan singh S/o Dolatsingh 283/2/1/9
30	283	Common	agriculture / Commercial	0.02	Fatimabee Khan W/o Ismail Khan,

					noor mohammad khan S/o Ismail khan 283/2/1/1
31	284	Private	Agriculture/ Irrigated	0.005	Chandarbai D/o Bapu hate singh 284/2/1
32	284	Private	Agriculture/ Irrigated	0.01	Mansingh 284/5/1/1
33	284	Private	Agriculture/ Irrigated	0.01	Dulichandra S/o Bajeram 284/5/2
34	284	Private	Agriculture/ Irrigated	0.0055	Sureshchandra S/o Madhavlal Soni 284/5/1/2
35	284	Private	Agriculture/ Irrigated	0.0055	Amar singh S/o Dolat singh 284/1/2
36	285	Private	Agriculture	0.0169	Mankunwar W/o Shankar Seema W/o Ramesh, Rajubai W/o Bahadur 185
Total				2.2703	

[F. No. NH-552G/Ujjain_Jhalawar/(3a)/3D1]

SHAIKH AMINKHAN, Director